समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

श्री राजेश कुमार सिंह, पिता–वीरेन्द्र कुमार सिंह, सा0–मोहनपुर, पो0+थाना–बिहारीगंज, जिला–मधेपुरा को एक, दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 05/1981 (उदाकिशुनगंज थाना) प्राप्त है, जिस पर बंदूक संख्या–3676D/7 (.12 Bore) धारित है। उनके पुत्र श्री राहुल कुमार सिंह, पिता–स्व0 राजेश कुमार सिंह, सा0–मोहनपुर, पो0+थाना–बिहारीगंज, जिला–मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता स्व0 राजेश कुमार सिंह की मृत्यु दिनांक 29.02.2016 को हो चुकी है एवं उक्त शस्त्र को मेसर्स विशाल गन हाउस, पूर्णियाँ में जमा करने हेतु अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः श्री राहुल कुमार सिंह, पिता–स्व0 राजेश कुमार सिंह द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत उनके पिता स्व0 राजेश कुमार सिंह के नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 05/1981 को **रद्द** किया जाता है तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत् धारित दो नाली बन्दूक संख्या–3676D/7 (.12 Bore) को मेसर्स विशाल गन हाउस, पूर्णियाँ में रखने की अनुमति दी जाती है एवं आवेदक श्री राहुल कुमार सिंह, पिता–स्व0 राजेश कुमार सिंह को निदेश दिया जाता है कि मृतक के नाम से निर्गत मूल शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं शस्त्र जमा किए गए शस्त्र की पावती रसीद की प्रति जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

मेसर्स विशाल गन हाउस, पूर्णियाँ को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या–3676D/7 (.12 Bore) को अपने प्रतिष्ठान में जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

Sd/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक......43........./श0, मधेपुरा, दिनांक...30.03.2016...........

प्रतिलिपि : श्री राहुल कुमार सिंह, पिता–स्व0 राजेश कुमार सिंह, सा0–मोहनपुर, पो0+थाना–बिहारीगंज, जिला–मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मेसर्स विशाल गन हाउस, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, सम्पूर्ण बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

30/3/16
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।